

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 230/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-30.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 30.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

थाना-तरवा:-शादी का झासा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-29.06.2025 को वादिनी/पीडिता द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र रमेश चन्द्र राम निवासी ग्राम भिलीहिली थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष द्वारा वादिनी के साथ शादी का झासा देकर पिछले कई दिनों से शारिरिक सम्बन्ध बनाया जा रहा था, और जब अभियुक्त द्वारा शादी से इनकार कर दिया गया तो मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर दिये, तो अभियुक्त मेरी शादी तोड़वा दिया, जब मैं रोहित से शिकायत कि तो रोहित मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 169/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस 2023 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक-29.06.2025 को उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय महाराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र रमेश चन्द्र राम निवासी ग्राम भिलीहिली थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को परमानपुर 100 शैया अस्पताल के पास से समय करीब 22.05 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 169/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस 2023 थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. रोहित कुमार पुत्र रमेश चन्द्र राम निवासी ग्राम भिलीहिली थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़

02. का0 सर्वेश कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ़



02.थाना-अतरौलिया:-नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 29.06.2025 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मतरंजन उर्फ मधुरंजन पुत्र रामनिवास गौड़ निवासी आराजी फुलाइच थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को ग्राम भोराजपुरकलां अम्बेडकरनगर से आजमगढ़ जाने वाली मुख्य रोड के दाहिने किनारे बगीचे के पास से समय करीब 18.45 बजे 02 किलो 20 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 220/25 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 220/25 धारा 8/20 NDPS ACT थाना अतरौलिया आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मतरंजन उर्फ मधुरंजन पुत्र रामनिवास गौड़ निवासी आराजी फुलाइच थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

पूर्व का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 217/21 धारा 60 EX ACT थाना तरवां आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 268/24 धारा 8/20 NDPS ACT थाना तरवां आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 0825/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र
4. मु0अ0सं0 003/21 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र

बरामदगी-

01. 02 किलो 20 ग्रा0 गांजा नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. उ0नि0 रमेश सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
3. हे0का0 राममूरत यादव थाना अतरौलिया आजमगढ़
4. का0 धर्मेन्द्र गुप्ता थाना अतरौलिया आजमगढ़



03.थाना-जहानागंज:- चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी के 08 अदद साड़ी, 04 अदद मोबाइल, 01जोड़ी छागल, 01 पीस बुन्दा, 320 रुपये नगद तथा 01 किलो नाजायज गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

➡ दिनांक 06.06.2025 को वादी बहादुर राम पुत्र स्व0 शिवनाथ राम ग्राम मुस्तफाबाद (बनकटा) थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 05.06.2025 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर बक्से में रखा साड़ी 02 पीस, चाँदी की सिकड़ी 01 पीस, व छागल 01 जोड़ी व सोने का बुन्दा 01 पीस, और खर्च के लिए रखे हुए 8,000 से 10,000 रुपये चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/25 धारा 305/331(4) बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दिनांक 28.06.25 को वादी मन्शा प्रसाद वर्मा (मुन्ना सेठ) पुत्र स्व बच्चन प्रसाद ग्राम जहानागंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 27.6.2025 की रात्रि में लगभग 02.00 बजे कुछ आहट व आलमारी खोलने की आवाज सुनकर मैं जाग गया लाइट जलाकर देखा तो आफताब अहमद S/O स्व0 मोहम्मद शमीम व मोहम्मद S/O इम्तियाज साई व दो अज्ञात व्यक्ति मेरे घर में चोरी कर रहे थे जो मुझे देखकर छत के रास्ते भाग गये। सामान इत्यादि को चेक करने पर आलमारी से 01 अदद चैन, 02 अदद लाकेट व 01 अंगूठी(सोने) का व 03 पायल (चाँदी) का, 06 साड़ी गायब था। शोर गुल सुनकर आसपास के लोग आ गये तो पता चला कि मेरे पड़ोसी जिनका नाम रामा प्रसाद वर्मा S/O स्व0 लक्ष्मी प्रसाद के घर से तीन मोबाइल चोरी होना पता लगा व दूसरे पड़ोसी शन्नो बानो W/O शहाबुद्दीन (सफाईकर्मी) का मोबाइल व 01 पायल चोरी होने का पता चला। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/25 बनाम 01. आफताब अहमद S/O स्व0 मोहम्मद शमीम 02. मोहम्मद S/O इम्तियाज साई निवासीगण बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 30.06.25 को उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 01. महताब आलम पुत्र शमीम निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष 02. मोहम्मद उमर पुत्र स्व0 इम्तियाज शाह निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को पुनर्जी पुलिया के पहले रास्ते पर पडने वाले मकान के पास से समय करीब 03.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 06 अदद साड़ी, 04 अदद मोबाइल मु0अ0सं0 207/25 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS से संबंधित तथा 02 अदद साड़ी, 01 जोड़ी छागल, 01 पीस बुन्दा व 320 रुपये नगद मु0अ0सं0 182/25 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS से संबंधित बरामद किया गया। अभियुक्त महताब आलम के कब्जे से एक प्लास्टिक के थैले से 01 किलो नाजायज गांजा बरामद किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त महताब आलम के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/25 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 182/25 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 207/25 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
03. मु0अ0सं0 210/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

***महताब आलम पुत्र मोहम्मद शमीम निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष ***

1. मु0अ0सं0 214/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 230/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 02/18 धारा-41/411 भा0द0वि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 42/20 धारा-380/411//457 भा0द0वि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 180/18 धारा-380/411//457 भा0द0वि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 199/21 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 326/23 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 401/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 182/25 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 207/25 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 210/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

मोहम्मद उमर पुत्र स्व0 इम्तियाज शाह निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

01. मु0अ0सं0 207/25 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

01. 06 अदद साड़ी, 04 अदद मोबाइल (मु0अ0सं0 207/25 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS) से संबंधित
02. 02 अदद साड़ी, 01 जोड़ी छागल, 01 पीस बुन्दा व 320 रुपये नगद (मु0अ0सं0 182/25 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS)
03. 01 किलो नाजायज गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 राहुल कुमार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 शेषनाथ यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. का0 अखिलेश यादव थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
4. उ0नि0 शिवम त्यागी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
5. हे0का0 शिवध्यान पाण्डेय थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़



04.थाना-तरवा:-मारपीट की घटना कारित करने वाला 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी प्रवीण कुमार दुबे पुत्र स्व. बृजेश कुमार दुबे ग्राम महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के घर में दिनांक-01.12.2020 को रात्रि 11.30 1.चन्द्रभान सिंह पुत्र स्व. काशी नाथ सिंह 2.छोटू सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह 3. बब्बी सिंह पुत्र लालता प्रसाद समस्त निवासीगण ग्राम महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ घुसकर वादी मुकदमा व उनके घर वालों को मारपीट कर घायल कर दिये, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -191/2020 धारा 323,325,452,506 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जिसमें श्रीकान्त उर्फ बब्बी पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मा0न्यायालय द्वारा आदेश जारी होने के पश्चात् भी लगातार फरार चल रहा था, लुक छिप कर रह रहा था जिसके कारण मा0 न्या0 द्वारा 29.11.2024 को उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 83 सीआरपीसी कुर्की का प्रक्रिया जारी किया गया था। मा0न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में दिनांक 08.01.2025 को थाना स्थानीय के उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा, उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह मय हमराह पुलिस बल के अभियुक्त के घर जाकर अतः मा0 न्या0 के आदेश के अनुपालन समस्त गवाहान की उपस्थिति मे सहयोग से कुर्की की कार्यवाही अमल में लायी गई, फिर भी अभियुक्त श्रीकान्त उर्फ बब्बी उपरोक्त लगातार फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 30.06.2025 को उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा सूचना के आधार पर वारण्टी अभियुक्त श्रीकान्त उर्फ बब्बी पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष को अभियुक्त के घर से समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. सम्बन्धित मु0अ0सं0 191/2020 धारा -323,325,506,452 भादवि / मु0न0 145/2023

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण:-

01. श्रीकान्त उर्फ बब्बी पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम महुवारी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़
02. हे0का0 सुधीर कुमार पीआरबी 6211 थाना तरवा जनपद आजमगढ़
03. का0 प्रदीप साह पीआरबी 6211 थाना तरवां जनपद आजमगढ़



थाना-रौनापार

गुमशुदा की बरामदगी

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा *आपरेशन मुस्कान* के तहत अभियान चलाकर अपहृत/गुमशुदा लोगों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश के क्रम में दिनांक-29.06.2025 को गुमशुदा संध्या यादव पुत्री जयप्रकाश यादव साकिन आराजी देवारा नैनीजोर थाना रौनापार आजमगढ़ को नेता सुबाष पैलेस शकुरपुर दिल्ली से म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा द्वारा बरामद किया गया।

➤ दिनांक 14.04.25 को जयप्रकाश यादव पुत्र रामाधार यादव ग्राम विशेष का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि खुद की पुत्री संध्या यादव उम्र 24 वर्ष दिनांक 25.03.25 को घर से नाराज होकर कहीं चले जाने के सम्बन्ध में दिया गया था जिस पर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी क्रमांक नं0 24/25 दिनांक 14.04.25 को पंजीकृत कर जाँच हेतु म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा को दिया गया। गुमशुदा संध्या यादव का प्राप्त लोकेशन के अनुसार म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा मय हमराह दिल्ली गये जहाँ से गुमशुदा संध्या यादव को नेता सुबाष पैलेस शकुरपुर दिल्ली से बरामद किया गया। बरामदशुदा गुमशुदा संध्या यादव को विधिक कार्यवाही करते हुए उसके माता-पिता को सुपूर्द किया गया।

बरामद महिला का विवरण:-

01. संध्या यादव पुत्री जयप्रकाश यादव निवासी विशेष का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1-म0उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

2-का0 अमितेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

3.का0 नीरज यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।